


बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री जटाशंकर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मटिहानी, जिला बेगूसराय को विभागीय आदेश ज्ञापांक- 417 दिनांक- 20.01.2016 द्वारा विभागीय मुख्यालय (सचिवालय) के विधि कोषांग में कार्यों के सम्पादन हेतु दिनांक- 20.01.2016 से 31.03.2016 तक प्रतिनियुक्त किया गया तथा आदेश ज्ञापांक- 2327 दिनांक- 08.04.2016 द्वारा प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक- 30.06.2016 तक विस्तारित की गई थी ।

- पुनः उक्त प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक- 30.09.2016 तक विस्तारित की जाती है ।
2. तदसम्बन्धी निर्गत पूर्व आदेश में निहित अन्य बिन्दु पूर्ववत् रहेंगे ।
 3. प्रस्ताव में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।


(राम चन्द्र मल्लिक)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक-प्र03 अ0-3-03/2012

3994

खाद्य, पटना/दिनांक- 05/07/16

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/जिला आपूर्ति पदाधिकारी बेगूसराय/अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय/श्री जटाशंकर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मटिहानी, बेगूसराय/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी विधि कोषांग प्रशाखा-04/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के उप सचिव ।